न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/1405

1. लादू सिंह पुत्र दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ड्योडी तहसील किशनगढ़ रेनवाल जयपुर।
2. कुंजन कंवर उर्फ कंजन कंवर पत्नी लादू सिंह।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह
2. राजप्रभा सिंह पुत्री कल्याण सिंह
3. राजवीर पुत्र कल्याण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ड्योडी तहसील किशनगढ़ रेनवाल जयपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत ड्योडी पंचायत समिति सांभर लेक हाल किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर आदेश दिनांक 19.03.2025 जिसको संशोधन कर दिनांक 05.05.2025 को पुनः निर्णय किया गया।

उपस्थित–

1. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद बाढदार वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 19.03.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत ड्योडी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 15.04.1989 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 15.04.1989 को निरस्त कर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को वारिसान् की जांच कर नामा0

खोले जाने के आदेश दिनांक 19.03.2025 को दिये गये। तत्पश्चात् उक्त निर्णय को संशोधित कर वारिसान् की जांच के स्थान पर रेस्पो0 के नाम नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 05.05.2025 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 19.03.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के निर्णय दिनांक 19.03.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना खातेदारों को पक्षकार बनाये केवल अपने परिवार के सदस्यों को व सरपंच एवं तहसीलदार को पक्षकार बनाकर एक अपील प्रस्तुत की जो कि निरस्त किये जाने योग्य थी। क्योकि नामान्तकरण संख्या 312 जगमालोतजी व पत्नी सुख सिंह की विरासत का खुला था उसमें जगमालोत जी के दो पुत्र दशरथ सिंह व कल्याण सिंह एवं दो पुत्रीया भंवर बाई, एवं मोहन कंवर के नाम नामान्तकरण खुला था उस नामान्तकरण को रेस्पोडेन्ट के पिता कल्याण सिंह ने अपने जीवन काल में कभी चुनौती नहीं थी व कल्याण सिंह की मृत्यू के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 569 दिनांक 05–09–2007 को रेस्पोडेन्टस ने अपने नाम से खुलवाया है। जिसकी समस्त जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को रही है। नामान्तकरण संख्या 312 दशरथ सिंह के नाम खुला व उसकी मृत्यू के बाद लादू सिंह जो उनका पुत्र है जिसको पक्षकार नही बनाया तथा भंवर बाई द्वारा कुंजन कंवर उर्फ कंजन कवर के हक में वसीयत/बख्शीश करने के कारण कुजन कंवर के नाम नामान्तकरण संख्या 364 खुला। जिसे करीब 25 वर्ष से अधिक समय हो गया जिसका इन्द्राज भी जमाबंदी समवत 2052 लगायत 2055 में आ चुका है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 को बखुबी रही है। अधीनस्थ न्यायालय में जिस नामान्तकरण संख्या 312 की अपील की है उसमें नामान्तकरण की कोई प्रति नही लगाई केवल जमाबंदी की प्रति लगाई गई है ओर वह जमाबंदी भी रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28–04–2022 को ली हुई है। अर्थात रेस्पोडेन्ट को नामान्तकरण संख्या 312 की जानकारी जमाबंदी की दिनांक 28–04–2022 ओर उससे पहले अपने नाम खुलवाये नामान्तकरण संख्या 569 दिनांक 05–09–2007 से बखुबी जानकारी थी जो कि रिकोर्ड से साबित है परन्तु अपील दिनांक 25–10–2024 में दायर की गई है जो सरासर मियाद बाहर है अधीनस्थ न्यायाल ने तो मियाद के बिन्दू पर निर्णय दिया ओर मनमाने तरीके से धारा 152 सी पी सी में जो कतई पुर्नविचार (रिव्यू) करने का अधिकार नही होता है केवल लिपिकीय त्रुटी ही दुरुस्त की जा सकती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19–03–2025 को जो निर्णय दिया उसको संशोधित करते हुये दिनांक 05–05–2025 को निर्णय दिया है वह अवैधानिक है निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 312 के पक्षकार व उनके वारिसों को जिनके नाम नामान्तकरण 25 वर्ष से अधिक समय पूर्व खुल चुका था को पक्षकार नही बनाकर एवं बिना सूचना व बिना नोटिस दिये अपील का निस्तारण किया है वह अवैधानिक है। ओर सक्षम पक्षकार के अभाव में पारित

निर्णय नलैटी (nullity) है जो सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि न्याय का सिद्वान्त है कि आवश्यक पक्षकारो को सुनना जरूरी होता है। नामान्तकरण संख्या 312 जगमालोत जी की खातेदारी में रही भूमि खसरा नम्बर 40/522 रकबा 6.1202 हैक्टेयर के सम्बंध में जो जगमालोत जी के वारिसान पुत्र व पुत्रीयो के नाम खुला था। विपक्षी राजेन्द्र सिंह का कहना दशरथ सिंह, आनन्द सिंह के गोद चला गया था जबकि गोद जाने का ऐसा कोई रिकोर्ड भी नही है बल्कि राजेन्द्र सिंह के पिता कल्याण सिंह ने अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति/चुनोती नामान्तकरण को नहीं दी थी तो उसके पुत्र राजेन्द्र सिंह को इस आधार पर कोई चुनोती देने का कोई अधिकार नही है। जबकि राजेन्द्र सिंह एवं रेस्पोडेन्टस 2 व 3 ने अपने नाम नामान्तकरण 569 दिनांक 05–09–2007 करीब 18 वर्ष पूर्व खुलवा लिया था उन्हें सभी स्थिति की जानकारी है। तथा गोद के प्रश्न को नामान्तकरण की अपील में चुनोती नही दी जा सकती है सक्षम न्यायालय में ही गोद को चुनौती दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर बिन्द पर कोई निर्णय नही दिया जबकि मियाद का बिन्दू जब तक तय नही हो जाता तब तक अपील गुणावगुण पर नही सुनी जा सकती है तथा मियाद का आवेदन भी गलत तथ्य एवं विरोधाभाषी है। इस कानूनी बिन्दू को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने नामान्तकरण संख्या 312 की कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की जब प्रमाणित प्रति ही प्रस्तुत नही की तो अपील चलने योग्य ही नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19–03–2025 को जो निर्णय दिया है वह पुनः जाचं एवं वारिसों की जांच के लिये रिमाण्ड किया था जिसमें ऐसी कोई कानूनी गलती नही की थी परन्तु बिना किसी आधार के धारा 152 सी.पी.सी के अन्तर्गत दिनांक 05–05–2025 को प्रार्थना पत्र देने पर इस धारा की सीमा से बाहर जाकर अपना ही आदेश संशोधित कर, उसी दिन नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक किया जो गलत है। निर्णय को सम्पूर्ण बदलने का या पुर्नविलोकन करने का कोई प्रावधान नही है। जिसके लिये पुर्नविलोकन (रिव्यू) प्रावधान अलग से बने हुये । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यो को नजर अंदाज कर जो निर्णय दिया वह निरस्तनीय है । अधिनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पोडेन्टस को नाजायज लाभ देने के लिये निर्णय किया है अपील जो कानून की परिधी के विपरीत प्रस्तुत की थ। इससे कानून की मंशा व व परिपालना की पूर्ण अवेहलना हुई जिसके कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर 19.03.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.05.2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण को अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

संभागीय आयुक्त जयपुर

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खाता संख्या नया 69 खाता संख्या पुराना 67 की आराजी खसरा नम्बर 40/522 रकबा 6.1202 हैक्टेयर वाके ग्राम ड्योढी तह० कि० रेनवाल में स्थित है। उक्त आराजीयात का पर्चा हवाला ठुकरानी जी जगमालोत जी पत्नी सुखसिंह के आया था । सुखसिंह के दो पुत्र कल्याण सिंह व दशरथ सिंह हुए। तथा दशरथ सिंह आनन्द सिंह के गोद चले गये थे । सुखसिंह जी की सम्पति में एक मात्र वारिश कल्याण सिंह ही रहे है तथा अन्य खाता संख्या

113 में सुखसिंह के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 83 के द्वारा कल्याण सिंह पुत्र सुख सिंह के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ था । सुखसिंह व जगमालोत जी के स्वर्गवास पश्चात दशरथ सिंह के आनन्द सिंह के गोद जाने के पश्चात विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे थे कल्याण सिंह के स्वर्गवास पश्चात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 03 विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। विवादग्रस्त आराजीयात में ठुकरानी स्व० जगमालोत पत्नी सुखसिंह के फौत होने के पश्चात नामान्तकरण कल्याण सिंह पुत्र सुख सिंह के नाम नामान्तकरण खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन उस व्यक्त सरपंच स्वंय दशरथ सिंह थें जिन्होने पटवारी हल्का से साज कर नामान्तकरण संख्या 312 भरवा लिया तथा सरपंच ग्राम पंचायत ड्योढी की मीटिंग में मौजूद सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा स्वीकृत कर खोल दिया। जबकि विवादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण कल्याण सिंह पुत्र सुखसिंह के नाम खुलना चाहिए था । तथा उनके पश्चात अपीलान्टव रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 नामान्तकरण खुलना चाहिए था । किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत ड्योढी ने पद का दुरूपयोग कर कल्याण सिंह व उसके वारिसानो को उनकी आराजीयात से महरूम रखने की नियत से उप सरपंच से साज कर कल्याण सिंह की जगह स्वयं दशरथ सिंह व अन्य दो बहनो का नामान्तकरण संख्या 312 दिनांक 15.04.1989 तस्दीक कर दिया।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रकरण को रिमाण्ड करने एवं अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति प्रदान की।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। चूंकि अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार हैं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत ड्योडी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 15.04.1989 को लगभग 35 वर्ष बाद चुनौती दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 15.04.1989 के समस्त विधिक खातेदारान् को पक्षकार बनाये बिना एवं अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही केवल रेस्पो0 को ही पक्षकार संयोजित कर नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 15.04.1989 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2025 में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को वारिसान् की जांच कर नामा0 खोले जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् उक्त निर्णय को संशोधित कर वारिसान् की जांच के स्थान पर केवल रेस्पो0 के नाम नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिनांक 05.05.2025 को दिये गये। जो कि विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 35 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत अपील में अपने अपीलाधीन आदेश में मियाद के बिन्दू पर पर कोई निर्णय नहीं दिया गया ना ही कोई टिप्पणी की गई है। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेनवाल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण उभयपक्षों की सहमति से इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 05.05.2025 निरस्त किया जाता है साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को स्थानान्तरित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांट्स को साक्ष्य, सुनवाई एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर मियाद के बिन्दू पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
संभागीय आयुक्त
जयपुर